न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 33–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 08–12–2015 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर के प्रकरण कमांक 146/अपील/2014–15

.....

ऋषि अजयदास गुरूलालदासजी
निवासी भक्ति आश्रम, गोंदडपुरा,
ब्राहम्णपुरी ओंकारेश्वर जिला खण्डवा म0प्र0
हाल मुकाम गोंदिया जिला उज्जैन म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

मंगलादास पति स्व0बाबा लालदास (योगीराज)
निवासी ब्रम्हपुरी, भक्ति आश्रन, गोदडपुरा,
ओंकारेश्वर, तहसील पुनासा जिला खण्डवा

..... अनावेदक

.....

श्री अनिल गुप्ता, अभिभाषक–आवेदक

श्री एस0के0वाजपेयी, श्री के0के0द्विवेदी व श्री पी0के0तिवारी, अभिभाषकगण– अनावेदक

.....

:: आदेश ::

(**आज दिनांक** 16/8/16 **को पारित**)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08–12–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदिका मंगलादासी द्वारा तहसीलदार पुनासा जिला खण्डवा के समक्ष संहिता की धारा 109, 110 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम गोदडपुरा स्थित भूमि सर्वे कमांक 49 रकबा 0.539 हेक्टेयर उसके पति बाबा लालदास योगीराज द्वारा रुपये 64,000/– में दिनांक 6–10–2005 को क्रय की गई थी और दिनांक 7–11–20015 को बाबा लालदास योगीराज का स्वर्गवास हो गया है, अतः प्रश्नाधीन भूमि पर उसका नामान्तरण स्वीकृत किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 30ए/ए–6/06–07 दर्ज कर दिनांक 1–8–2007 को आदेश पारित किया जाकर प्रश्नाधीन भूमि पर निर्मित मंदिर एवं भक्ति आश्रम को संहिता की धारा 177 के अन्तर्गत राजगामी करते हुये भूमिस्वामी "मध्यप्रदेश शासन प्रबंधक कलेक्टर" सर्वराकार मंगलदासी को घोषित किया गया । तहसीलदार के आदेश से व्यथित होकर आवेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 23–5–2014 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश निरस्त करते हुये वसीयतनामा के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का नाम अभिलेख में इंद्राज करने का आदेश दिया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 8–12–2015 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर तहसीलदार का आदेश यथावत् रखा गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिवत् वसीयतनामे को प्रमाणित किया जाकर प्रश्नाधीन भूमि का आवेदक को भूमिस्वामी मानते हुये उसका नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने का आदेश देने किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी के

समक्ष आवेदक द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर विलम्ब का पर्याप्त कारण बताया गया था जिसे मान्य कर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने में कोई अनियमित कार्यवाही नहीं की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिवत् मूल वसीयतनामा मंगाकर उसे प्रदर्श कर मूल वसीयतनामा आवेदक को वापिस किया गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिवत् साक्ष्यों से वसीयतनामे को प्रमाणित किया गया है, अतः वसीयतनामे के आधार पर आदेश पारित करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिसंगत कार्यवाही की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक वसीयतनामा के आधार पर मृतक भूमिस्वामी का वारिस है अतः तहसीलदार द्वारा भूमि शासकीय घोषित करने में अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई थी, इसलिये तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा न्यायोचित कार्यवाही की गई थी, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूँकि प्रश्नाधीन भूमि मंदिर की होकर शासकीय भूमि है और मृतक भूमिस्वामी लालदास योगीराज का कोई विधिक उत्तराधिकारी नहीं होने से भूमि शासकीय मंदिर की घोषित करने में तहसीलदार द्वारा वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 177(3) में स्पष्ट प्रावधानित किया गया है कि संहिता की धारा 177 के अन्तर्गत भूमि शासकीय घोषित करने संबंधी आदेश के विरूद्ध अपील/निगरानी नहीं होगी, अतः अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का अवैधानिक आदेश निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों का निराकरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में ही किया जा चुका है, अतः इस निगरानी में पुनः उन आपत्तियों को नहीं उठाया जा सकता है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा अनावेदिका मंगलादासी को मृतक भूमिस्वामी स्व0बाबा लालदास (योगीराज) की पत्नी प्रमाणित होना नहीं मानते हुये एवं वसीयतग्रहीता आवेदक ऋषि अजयदास द्वारा वसीयतनामा के आधार पर आपत्ति प्रस्तुत करने में एवं बाद में वापिस लेने के कारण प्रश्नाधीन भूमि शासकीय घोषित की गई है, जबकि तहसीलदार की आदेशिकाओं को देखने से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरण हेतु प्रस्तुत आपत्ति को कभी भी वापिस नहीं लिया गया है, अतः तहसीलदार द्वारा निकाला गया निष्कर्ष अभिलेख के विपरीत होने से उनके द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी निर्विवादित है कि प्रश्नाधीन भूमि स्व0बाबा लालदास (योगीराज) द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की गई है और उनके द्वारा आवेदक के पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित किया गया है जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा वसीयतनामे के टायपिस्ट संजय तथा नोटरी के वकील मोहन पाल के कथन से प्रमाणित कराई गई है । इस संबंध में 1999(1) एमपीडब्ल्यूएन शार्टनोट नम्बर 218 अजबबाई विरूद्ध करणसिंह में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :–

> "बिल – अनुप्रमाणक साक्षियों एवं बिल के लिपिक द्वारा सम्यक् रूप से साबित – न्यायालय द्वारा बिल को साबित माना जाना न्यायसंगत ।"

जैसा कि ऊपर विश्लेषण किया गया है कि आवेदक द्वारा वसीयतनामा को वसीयत के नोटरी मोहन पाल एवं टायपिस्ट संजय के कथनों को प्रमाणित कराया गया है, अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बिल को साबित मानकर आवेदक के पक्ष में नामान्तरण आदेश पारित करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है। जहॉ तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील अवधि बाह्य होने के आधार पर उनके आदेश को अवैधानिक ठहराया

गया है, जबकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब के संबंध में आवेदक की ओर से प्रस्तुत तर्को से सहमत होते हुये प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, अतः अपरोक्ष रूप से धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया है । इसके अतिरिक्त अनुविभगीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में गुणदोष पर अंतिम आदेश पारित कर दिये जाने से समय सीमा जैसा तकनीकी बिन्दु महत्वहीन हो जाता है । इसके अतिरिक्त अपर आयुक्त द्वारा यह ठहराने में त्रुटि की गई है कि आवेदक द्वारा नोटरी तथा दस्तावेज लेखक के कथन अंकित किये गये हैं और स्वतंत्र साक्षी से वसीयत को प्रमाणित नहीं किया गया है, क्योंकि जैसा कि ऊपर विश्लेषण किया गया है कि आवेदक द्वारा विधिवत् वसीयतनामे को प्रमाणित किया गया है, ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश अवैधानिक एवं अनुचित होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–12–2015 निरस्त किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–05–2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर